श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2015 को आयोजित आंतरिक संसाधन की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्व प्रथम समाहर्त्ता द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समीक्षा के दौरान राजस्व संग्रह की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :–

1. **परिवहन (Transport)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण के द्वारा वार्षिक लक्ष्य– 2236.00 लाख रूपयें के विरूद्ध माह फरवरी तक 1955.62 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नहीं किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ससमय लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा। समन की राशि के संबंध में मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं तीनों अनुमण्डल पदाधिकारी से पृच्छा की गयी। पृच्छा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह– फरवरी में तीनों अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा समन की राशि की सूचना प्राप्त नहीं है, जिस पर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं किये जाने पर गोपनीय शाखा से अर्द्धसरकारी पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत वसूली करने तथा नियमित छापेमारी करने का निदेश दिया गया। साथ ही शहर में लग रहे जाम से मुक्ति पाने हेतु रोड पर लगाये जा रहे दुकान एवं सड़क के किनारे लगाये जा रहें वाहन को हटवानें हेतु M.V.I प्रर्वतन अवर निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, सदर को पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन करते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर/मढ़ौरा/सोनपुर/M.V.I/प्रर्वतन अवर निरीक्षक/विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा।

2. **वाणिज्य कर (Commercial Taxes)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वाणिज्यकर विभाग के वार्षिक लक्ष्य– 7100.91 लाख के विरूद्ध– 4661.40 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया हैं। जो वार्षिक लक्ष्य का मात्र 65.65 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया, जिस पर वाणिज्य कर पदाधिकारी द्वारा शतप्रतिशत वसूली कर लेने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन– वाणिज्य कर उपायुक्त, सारण, छपरा ।

3. **राष्ट्रीय बचत (National Savings)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सारण के वार्षिक लक्ष्य– 14000.00 लाख रूपयें के विरूद्ध– 15396.18 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 109.97 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य से ज्यादा राजस्व संग्रहण किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण में गति लाने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सारण।

4. **उत्पाद (Excise)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्पाद विभाग के द्वारा वार्षिक लक्ष्य 7044.00 लाख के विरूद्ध 6970.00 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का मात्र 98.94 प्रतिशत ही है। जिसपर समाहर्त्ता द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्व संग्रहण में गति लाने एवं नियमित छापेमारी करने हेतु उत्पाद अधीक्षक को निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा बताया गया कि छपरा से सोनपुर जाने के क्रम में दिघवारा ढ़ाला के पास एक शराब की दूकान है, जिसकी जांच के क्रम में पाया गया कि अनुज्ञप्ति में केवल वार्ड नं0 अंकित था। जिसके कारण जांच करने में कठिनाई उत्पन्न होने की बात कही गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थान अंकित करने हेतु सुझाव दिया गया ताकि उक्त स्थान का जांच किया जा सके, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा उक्त समस्या को नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन– उत्पाद अधीक्षक, सारण।

5. **खनन (Mining)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खनन विभाग के वार्षिक लक्ष्य 2342.32 के विरूद्ध 1140.97 लाख रू0 की वसुली की गयी है, जो वार्षिक लक्ष्य के 48.71 प्रतिशत हैं।

समाहर्त्ता द्वारा की गयी वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए माह मार्च 2015 तक लक्ष्य के शतप्रतिशत पूर्ति हेतु राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया। साथ ही अवैध तरीके से बालू घाटों का हो रहे खनन एवं ढुलाई पर रोक लगाने हेतु अपने अपने थाना से सम्पर्क करके आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। साथ ही सक्षम पदाधिकारी, खनन को हर हाल में लक्ष्य की पूर्ण राशि संग्रहण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– खनन पदाधिकारी, सारण। सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

6. **जिला परिषद् (Jila Parishad)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 86.09 लाख के विरूद्ध 81.98 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 95.23 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। साथ ही राजस्व संग्रहण में और गति लाने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारण।

7. **सहकारिता (Co-operative)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 17.53 लाख के विरूद्ध माह– फरवरी 2015 तक मात्र 9.02 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 51.45 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए वार्षिक लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। जिनपर सहकारिता पदाधिकारी द्वारा ससमय लक्ष्य पूरा कर लेने का आश्वासन दिया गया।

अनुपालन– जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण ।

8. **विद्युत (Electricity)** :– समीक्षा के क्रम में विद्युत पूर्वी एवं पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता के उपस्थित नहीं रहने के कारण समीक्षा नहीं हो पायी।

अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, छपरा पूर्वी एवं पश्चिमी।

9. **मत्स्य (Fisheries)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 22.83 लाख के विरूद्ध 13. 52 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 59.22 प्रतिशत है। लक्ष्य के अनुरूप वसुली नहीं किये जाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी से कारण–पृच्छा की गयी। इस पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि समिति को पैसा जमा करने हेतु पत्र लिखा गया है, जो इस माह में जमा हो जाएगा साथ ही ससमय 100% वसूली का आश्वासन दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा ससमय लक्ष्य की पूर्ति हेतु वसूली में गति लाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला मतस्य पदाधिकारी, सारण।

10. **माप–तौल (Weights-Measure)** :– समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माप–तौल विभाग के वार्षिक लक्ष्य 48.46 लाख के विरूद्ध माह– फरवरी 2015 तक 38.03 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है जो वार्षिक लक्ष्य का 78.48 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कम राजस्व संग्रहण के संबंध में कारण पृच्छा की गयी। इस पर निरीक्षक माप–तौल द्वारा बताया गया कि गैप वर्ष चल रहा है, जिसके कारण वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समाहर्त्ता द्वारा नियमित छापेमारी करने का निदेश दिया गया। साथ ही शतप्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सहायक कृषि निदेशक –सह– उप नियंत्रक, माप–तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा को पेट्रोल पम्प का नोजल वगैरह एवं P.D.S दुकानों का नियमित जांच करने का निदेश पूर्व में दिया गया था। उक्त सभी दुकानदारों का जांच नियमित करने का निदेश सहायक कृषि निदेशक –सह– उप नियंत्रक, माप–तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा को दिया गया।

अनुपालन– सहायक कृषि निदेशक –सह– उप नियंत्रक, माप–तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा।

11. **औषधि नियंत्रक** :– समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माह– फरवरी 2015 तक 5.57 लाख रू0 का राजस्व वसूली किया गया है, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कम से कम 7.50 लाख का राजस्व संग्रहण करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही अनुज्ञापन पदाधिकारी, औषधि नियंत्रक प्रमण्डल, छपरा को दवा दुकानों का नियमित जांच करने का निदेश दिया गया ताकि गलत दवा का बिक्री दुकानदारो द्वारा नहीं किया जा सकें।

अनुपालन– औषधि नियंत्रक, सारण।

12. **वन विभाग** :– समीक्षा के क्रम में वन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित नहीं हैं, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अगली बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही फोन से सूचना उपलब्ध कराने का निदेश अपर समाहर्त्ता को दिया गया।

अनुपालन– जिला राजस्व शाखा, छपरा।

13. **निबंधक (Registration)** :– समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 9200.00 लाख के विरूद्ध 6278.68 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 68.25 प्रतिशत हैं। समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में अवर निबंधक, एकमा में स्टाम्प पेपर दर विक्री से अधिक मूल्य में बेचने का प्राप्त शिकायत के संबंध में पृच्छा अवर निबंधक, एकमा से की गई, जिसपर बताया गया कि इस प्रकार का मामला प्राप्त नहीं हुआ हैं, समाहर्त्ता द्वारा सभी अवर निबंधक को औचक निरीक्षण करते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला अवर निबंधक, सारण/अवर निबंधक, परसा, एकमा, मशरक, मढ़ौरा एवं सोनपुर ।

14. **<u>नगर परिषद, छपरा (Nagar Parishad)</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 343.58 लाख रू0 के विरूद्ध 453.72 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 132.06 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर संतोष व्यक्त की गयी। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण उनसे वगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला राजस्व शाखा, छपरा ।

15. **<u>नगर पंचायत, एकमा</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह– फरवरी 2015 तक कुल 1.45 लाख रू0 की राजस्व संग्रहण किया गया हैं।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा से पृच्छा की गई, जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण का कार्य चल रहा है, जिसमें 10 वार्ड का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष वार्ड का कर निर्धारण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा कर निर्धारण का कार्य अविलम्ब पूरा करने के साथ ही राजस्व संग्रहण में गति लाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला राजस्व शाखा, छपरा ।

16. **नगर पंचायत, रिविलगंज** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 81.58 लाख रू0 के विरूद्ध 9.59 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया हैं। जो वार्षिक लक्ष्य का 11.75 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कारण–पृच्छा की गयी, जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 वार्ड का लक्ष्य निर्धारण का कार्य हुआ है, शेष पर कार्य चल रहा है, जो शीघ्र समाप्त हो जाएगा। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो वार्षिक लक्ष्य है वह पिछले वर्ष का बकाया राशि है, समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व संग्रहण में गति लाने का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रिविलगंज को दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रिविलगंज।

17. **नगर पंचायत, परसा** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 5.70 लाख रू0 के विरूद्ध 4.10 लाख रू0 की वसूली की गई, जो वार्षिक लक्ष्य का 71.93 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कारण–पृच्छा की गयी, जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि ससमय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण कर ली जायेगी।

अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, परसा ।

18. **नगर पंचायत, मढ़ौरा** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह– फरवरी 2015 तक 3.03 लाख की राजस्व संग्रहण किया गया हैं।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी से कारण–पृच्छा की गयी, जिसपर बताया गया कि माह– अक्टूबर से होल्डिंग के अनुरूप राजस्व संग्रहण की जा रही है। समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण में गति लाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मढ़ौरा को निदेश दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मढ़ौरा।

19. **जिला कृषि** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह– फरवरी 2015 तक 6.30 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया हैं।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य नहीं दिये जाने के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी से पृच्छा की गई, जिसपर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण में और गति लाने के साथ ही खाद बीज एवं कीटनाशक दवा के दूकानों के गुणवता की नियमित जांच हेतु छापेमारी करते रहने का निदेश दिया गया ताकि किसी भी प्रकार के गलत खाद वगैरह की विक्री नहीं हो सके।

अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।

20. **नलकूप** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 0.55 लाख के विरूद्ध माह– फरवरी 2015 तक 0.31 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया हैं, समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के शतप्रतिशत प्राप्ति हेतु राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया।

समाहर्त्ता द्वारा बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि हर हाल में 31 मार्च 2015 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण की जाय अन्यता संबंधित विभाग के पदाधिकारी के विरूद्ध कार्य में लापरवाही एवं कार्य में रूची नही लिए जाने के संबंध में विभाग के सचिव को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसी के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0 –
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ..../ दिनांक ....

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 897/ दिनांक 19/3/15

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।